Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 15/04/2019

Certificate No. HCO2019D14

GRN No. 46381651

Stamp Duty Paid : ₹ 2750
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Sonu

H.No/Floor : 000 Sector/Ward : 000 LandMark : Putthi

City/Village : Putthi District : Hissar State : Haryana

Phone: 9050801234

Buyer / Second Party Detail

Name : Ajay yadav

H.No/Floor : 000 Sector/Ward : 000 LandMark : Putthi

City/Village: Dhani piran District : Hissar State : Haryana

Phone : 9050801234

Purpose : Revenue Stamp for registration of pattanama

117
15-4-2019

58
15-04-19

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

दस्तावेज पट्टानामा मियादी 30 साला, लगान (पट्टा) मुकर्रा सालाना 30,000/– रु0, स्टाम्प–2,700/–रु0, जो कि दिनाक 15–04–2019, को स्टाम्प कमांक एचसीओ–2019, डी–14, व पजी0 शुल्क 505/– जीआरएन 46383932, के अनुसार खरीद किये हैं। रक्बा 2 कनाल 16 मरला, वाका मौजा पुठठी सैमण, तहसील बास जिला हिसार।

मैं सोनू पुत्र श्री रामफल पुत्र श्री रामसिंह निवासी गांव पुठठी सैमण तहसील बास जिला हिसार का हूँ। यह कि अराजी खेवट न0. 386//338 मिन, खतौनी न0. 515, खसरा नम्बर 148//2/2 मिन–पूर्व (2–16), किते 1, तादादी 2 कनाल 16 मरले में सालिम भाग, **कुल बकदर रक्बा 2 कनाल 16 मरले,** वाका **मौजा पुठठी सैमण**, तहसील बास, जिला हिसार, जमाबन्दी साल 2015–2016 व इन्तकाल नम्बर 5639, की रुह से वाहिद मालिक व काबिज चला आ रहा हूँ। कोई कानूनी रुकावट पट्टा पर देने में ना है। उक्त अराजी हर प्रकार से पाक व साफ है। मुझे उक्त अराजी को पटटा करने का हक हासिल है। हमें बराऐ जरुरत खानगी में उक्त अराजी को 30 साल के लिए पटटा पर दिया जाना जरुरी है। अतः अब मैंने स्वस्थचित, प्रसन्नतापुर्वक, बिना किसी दबाव के अपनी उक्त अराजी तादादी 2 कनाल 16 मरले हस्ब तशरीह वाला वाका मौजा पुठठी सैमण तहसील बास जिला हिसार वास्ते 30 साल आज दिंनाक 15.04.2019 ता 14.04.2049 बशरह किराया/लगान एक साल का मु0 30,000/–रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) होते हैं बहक **अजय यादव पुत्र श्री सतबीर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव ढाणी पीरान तहसील हांसी जिला हिसार** को पटटा पर देकर

Sonu

ANURAG SHARMA
Advocate
Civil Court

प्रलेख नः 117 दिनाँक 15/04/2019

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील बांस

गांव/शहर पुठी समैण

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 30,000.00 रुपये स्टाम्प डयूटी की राशि 2,750.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 500.00 रुपये E-Challan No.46383932 पेस्टिंग शुल्क 1.50 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 15/04/2019 दिन सोमवार समय 2:42:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सोनु पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी रामफल निवासी पुठी सैमन द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

Sonu

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बांस

श्री सोनु

उपरोक्त पटटा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी अजय यादव पटटा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी रामनिवास नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी बास व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी धर्मपाल निवासी पाली ने की।

साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 15/04/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बांस

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बांस

कब्जा मौका पर खसरा संख्या खसरा नम्बर 148//2/2 मिन–पूर्व (2–16) पर दे दिया है। अराजी उपरोक्त उक्त अवधि के लिए पट्टेदार के पास पट्टा पर रहेगी। पट्टेदार से प्रथम वर्ष का लगान/किराया वसूल पा लिया है और शेष अवधि पट्टा 29 साल का मुकर लगान/किराया साल दर साल बाखज रशीद पट्टेदार मुझ असल मालिक को अदा करता रहेगा। लगान अदायगी हर साल 31 जनवरी को होगी। अदम अदायगी की सूरत में पट्टा मनसुख ना होगा बल्कि अलायदा वसूली बजरिया अदालत हो सकेगी। पट्टेदार अपने हकूक पट्टेदारी तामियाद 30 साल वादस्तुर कायम रहेगा और पट्टा किसी भी सूरत में मनसूख ना होगा। पट्टेदार अराजी वाला में पैट्रोल पम्प लगाने हेतू भवन निर्माण करे, मशीने लगाए, कार्यालय बनाए, पैट्रोल–डीजल के भण्डारण के लिए टैंक बनाए, बिजली, टेलिफोन, पानी आदि का कनैक्सन लेवे, यानि पैट्रोल पम्प सम्बधि जो भी आवश्यक हो तमाम प्रकार से प्रयोग करे इसमें मुझे कोई एतराज ना होगा। पट्टेदार चाहे तो अराजी उपरोक्त को समेत पैट्रोल पम्प किसी भी अन्य व्यक्ति या कम्पनी को सब लीज/पट्टा कर सकेगा। पट्टेदार उपरोक्त अराजी में पम्प लगाने के लिए सभी विभागों से जहां से जरुरत हो एन ओ सी ले इसमें मुझे कोई एतराज ना होगा। पट्टेदार उपरोक्त अराजी में पैट्रोल पम्प लगाने में सम्बधित मन्जुरी लेने हेतू जहां भी पट्टानामा की आवश्यकता हो तो पट्टानामा का इस्तेमाल करे मुझे कोई एतराज ना होगा। उक्त दस्तावेज पजीयन के बाद इंतकाल दर्ज होने में मुझ पट्टा देहिन्दा को काई एतराज ना होगा। नुक्स मलकियत व सुकम कानुनी की हर प्रकार जिम्मेवारी मेरी होगी। अराजी बाला के एक्वायर हो जाने की सूरत में 1/10 भाग पट्टेदार व 9/10 भाग मैं स्वंय असल मालिक मुआवजा वसूल पाने का हकदार होंगा। अतः यह पट्टानामा सही व जायज है, लिख दिया है, ताकी सनद रहे, समय पर काम आवे। तहरीर तारीख 15–04–2019 मुकाम बास मजमून सुनाया गया, सुनकर सही माना, बजरिये **अनुराग शर्मा एडवोकेट**, हांसी रपट न0. 1987।

Sonu

पट्टा देहिन्दा–सोनू

पट्टा ग्रहिता–अजय यादव

रामनिवास

नम्बरदारः–श्री रामनिवास जी बास हिसार।

गवाहः–सचिन पुत्र श्री धर्मपाल गांव पाली नारनौंद हिसार।

ANURAG SHARMA
Advocate
Civil Court, Hansi

Reg. No. **Reg. Year** **Book No.**

117 2019-2020 1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला

सोनु Sonu

पटटा लेने वाला Ajay

अजय यादव

गवाह 1:- रामनिवास नम्बरदार रामनिवास गवाह 2:- सचिन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 117 आज दिनाँक 15/04/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 32 के पृष्ठ नः 29 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 535 के पृष्ठ सख्या 33 से 34 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

बांस

दिनाँक 15/04/2019